कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 01.07.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

घरेलू विवाद में बड़े भाई की हत्या करने वाला अभियुक्त लगभग 05 घंटे के भीतर गिरफ्तार
हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद, आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। घरेलू विवाद में अपने सगे बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को घटना के लगभग 05 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।

घटना का विवरण

दिनांक **30.06.2026** को थाना जहानागंज क्षेत्र के कस्बा जहानागंज स्थित मोहल्ला नयापुरा में घरेलू विवाद के दौरान अभियुक्त **मो. अनस उर्फ राजू** द्वारा अपने बड़े भाई **दिलशेर अहमद** पर चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी **सुमैया अख्तरी** की तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना जहानागंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर **करहा मार्ग स्थित पुनर्जी पुलिया** के पास घेराबंदी कर अभियुक्त **मो. अनस उर्फ राजू पुत्र स्व. इम्तियाज, निवासी नयापुरा कस्बा जहानागंज** को दिनांक **30.06.2026** को रात्रि **23:24 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त **एक अदद चाकू** बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई लगभग दो वर्ष दुबई में रहने के बाद करीब 15 दिन पूर्व घर आया था। घर के खर्च को लेकर उसकी माँ और भाई के बीच कहासुनी हो रही थी। विवाद बढ़ने पर उसे अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने पास में रखा चाकू उठाकर अपने भाई पर कई वार कर दिए।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 140/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

मो. अनस उर्फ राजू पुत्र स्व. इम्तियाज, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी नयापुरा कस्बा जहानागंज, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार मिश्रा
- हेड कांस्टेबल दिनकर कुशवाहा
- कांस्टेबल गोविन्द सिंह
- कांस्टेबल अमित कुमार
- महिला आरक्षी अवन्तिका तिवारी
- थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

झपट्टामारी की घटना का सफल अनावरण
मोबाइल छीनने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, छीना गया मोबाइल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। झपट्टामारी कर मोबाइल छीनने की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का विवरण
दिनांक **19.06.2026** को वादी **निखिल मौर्य** निवासी ग्राम गुलउर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके पिता तिवारीपुर से अपने घर लौट रहे थे। बैठौली पुल से लगभग 100 मीटर पश्चिम बद्दोपुर गांव के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोककर उनके पास से **₹7,000 नकद, पर्स (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेख), सैमसंग A06 मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल की चाबी** छीन ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं अनावरण
विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक **30.06.2026** को थाना कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर **आईटीआई कॉलेज के पास** से अभियुक्त **राहुल सिंह** को समय **23:45 बजे** गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में छीना गया **एक अदद मोबाइल फोन** बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त
राहुल सिंह पुत्र सभाजीत सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता पाण्डेय बाजार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी
- झपट्टामारी में छीना गया एक अदद मोबाइल फोन।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 326/2026, धारा 304(2)/317(2) बीएनएस **थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर
- कांस्टेबल सुमित कुमार
- कांस्टेबल राहुल पाण्डेय
- आरक्षी अम्बरदीप
- थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

महिला से टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार
लूटे गए सोने के आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। महिला को बहला-फुसलाकर उसके सोने के आभूषण लेकर फरार होने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का विवरण
दिनांक **28.06.2026** को वादिनी **श्रीमती सुभावती देवी** पत्नी राम अवतार चौहान, निवासी ग्राम मझवा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, किसी कार्य से खरिहानी बाजार गई थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें बहला-फुसलाकर

उनके **नाक की सोने की नकबुजी (नथुनी), कान के सोने के कनफूल तथा मंगलसूत्र** लेकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं अनावरण

विवेचना के दौरान लगातार पतारसी-सुरागरसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। दिनांक **30.06.2026** को मुखबिर की सूचना पर थाना तरवां पुलिस टीम ने **रामप्रताप आदर्श इंटर कॉलेज, बहलोलपुर** के पास से तीनों अभियुक्तों को समय **22:56 बजे** गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से घटना में छीने गए सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **पंकज** पुत्र रामकिशुन, निवासी भीमापार, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष।
2. **समुल्ला** पुत्र रामकिशुन, निवासी भीमापार, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 24 वर्ष।
3. **खेसारी** पुत्र प्यारेलाल , निवासी दुस्का, थाना जमनिया, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष।

बरामदगी

- 01 अदद मंगलसूत्र (लॉकेट सहित) पीली धातु
- 02 अदद सोने के कनफूल (पीली धातु)
- 01 अदद सोने की नकबुजी/नथुनी (पीली धातु)
- घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल **UP54 AU 2498**

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 **132/2026**, धारा 318(4), 303(2) ,317(2) बीएनएस थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल
- कांस्टेबल अजय यादव
- कांस्टेबल रत्नेश सिंह
- आरक्षी शिवम त्रिपाठी
- आरक्षी सूरज कुमार यादव
- कांस्टेबल सौरभ सिंह (पुलिस लाइन)
- कांस्टेबल अभिषेक यादव (पुलिस लाइन)
- थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

अस्तित्वहीन मदरसे के नाम पर शासकीय अनुदान गबन प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
विशेष जांच में दर्ज मुकदमे के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस ने अस्तित्वहीन मदरसे के नाम पर शासकीय अनुदान के दुरुपयोग एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करने के प्रकरण में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

प्रकरण का विवरण

दिनांक **19.02.2025** को **राज्य विशेष अपराध अनुसंधान दल (SIT), मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ** के निरीक्षक **के.बी.पी. सिंह** की तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में **अस्तित्वहीन मदरसा "गफ्फरुल ओलूम", ग्राम पाइन्दापुर, फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (मदरसा आईडी-191100507)** के नाम पर कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा शासकीय धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में आया। प्रकरण में मदरसे के प्रबंधक, शिक्षक एवं मान्यता प्रदान करने से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण

विवेचना के दौरान वांछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक **01.07.2026** को थाना दीदारगंज पुलिस टीम ने **आजादनगर बाजार** से वांछित अभियुक्त **जितेन्द्र सिंह चौहान** को प्रातः **09:05 बजे** गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

जितेन्द्र सिंह चौहान पुत्र सतीराम चौहान, निवासी ग्राम शेखवलिया, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 39 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 52/2025, धारा 409/420/467/468/471 भादवि **थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 रामबहादुर यादव
- आरक्षी सदानन्द यादव
- महिला कांस्टेबल पल्लवी वर्मा
- थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
-

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

24 घंटे के भीतर मोटरसाइकिल चोरी का सफल अनावरण
चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।

घटना का विवरण

दिनांक **29.06.2026** को वादी **अखिलेश यादव** पुत्र दयाराम यादव, निवासी ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक **27.06.2026** की रात्रि लगभग **08:30 से 09:00 बजे** के बीच उनकी **स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (UP50 CK 5013)**, जो उनकी दुकान **"माँ वैष्णो चाट बहार"** के समीप यामाहा शोरूम से पहले खड़ी थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं अनावरण

विवेचना एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस टीम ने दिनांक **30.06.2026** को **बाग लखराव पुलिया** के पास से अभियुक्त **लक्ष्मी प्रसाद** को समय **20:30 बजे** गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई **स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (UP50 CK 5013)** बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

लक्ष्मी प्रसाद पुत्र विनय कुमार पटेल, निवासी गुनौरगंज, जनपद पन्ना (मध्य प्रदेश), हाल पता रमेशचन्द्र गुप्ता के मकान में, बवाली मोड़ के पास, रोडवेज बंधा मोड़ के नीचे, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।

बरामदगी

- एक अदद चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या **UP50 CK 5013**

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 346/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज
- कांस्टेबल आदित्य कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 01.07.2026, जनपद आजमगढ़

☐ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक में 03 बिखरे परिवारों का कराया गया सफल समझौता
☐ 07 प्रकरणों में हुई सुनवाई, वैवाहिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु पुलिस का सतत प्रयास जारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन तथा **अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात)/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन** के पर्यवेक्षण में दिनांक **01.07.2026** को थाना कोतवाली परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल **08 पत्रावलियों** में दोनों पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर मिडिएशन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनमें से **07 पत्रावलियों** में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

गहन काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत **03 प्रकरणों में दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराकर परिवारों को पुनः एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया।** इनमें दो प्रकरण दहेज प्रताड़ना से संबंधित तथा एक प्रकरण पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का था।

बैठक के दौरान **01 दंपति कुशलक्षेम प्रकट करने हेतु उपस्थित हुआ**, जबकि **02 पत्रावलियों का अन्य कारणों से निस्तारण किया गया।** शेष प्रकरणों में अगली तिथि नियत करते हुए संबंधित पक्षों को पुनः नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

'नई किरण' परियोजना का उद्देश्य वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर बिखरे परिवारों को पुनः जोड़ना तथा समाज में पारिवारिक समरसता स्थापित करना है। इससे न केवल परिवारों में नई उम्मीद का संचार होता है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायता मिलती है।

सफलतापूर्वक समझौता कराने वाले परिवार

1. अंजू यादव पत्नी प्रदीप यादव, निवासी दत्तापुर, थाना पवई।
2. सुषमा शर्मा पत्नी आशीष शर्मा, निवासी रामगढ़, थाना जीयनपुर।
3. पूजा गोड़ पत्नी मोनू गोड़, निवासी चन्द्रभानपुर, थाना निजामाबाद।

काउंसलिंग टीम

- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी
- उ0नि0 सत्यनारायण यादव
- आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
- परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, पुलिस कार्यालय, जनपद आजमगढ़